



Neutral Citation No. - 2026:AHC:18076

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट याचिका संख्या - सी - 878 वर्ष 2026

इंद्रपाल सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

आयुक्त, चित्रकूटधाम, जिला महोबा और 2 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सिकंदर रजा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., संजय सिंह सेंगर

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय सिंह सेंगर द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि, अर्थात् प्लॉट संख्या 427/4 जो ग्राम बंस पहाड़िया, श्रीनगर, तहसील और जिला महोबा में स्थित है, याचिकाकर्ता के पक्ष में पट्टा के रूप में आवंटित की गई थी। यह तर्क दिया गया है कि इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30(2) के तहत मामला संख्या 12/205 प्रतिवादी संख्या 2/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) महोबा के न्यायालय में उपरोक्त पट्टा रद्द करने के लिए दायर किया था, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 11.08.2025 के आदेश द्वारा पहले ही खारिज कर दिया है। यह तथ्य चित्रकूथम मंडल के आयुक्त/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 17 नवंबर, 2025 को पारित आदेश में भी उल्लिखित है। याचिकाकर्ता को ज्ञात कारणों से, इस संबंध में विस्तृत जानकारी याचिका में नहीं दी गई है।

2. इस मामले को देखते हुए, न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्यों का यह प्रारंभ है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह इस न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करे कि उसके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही अगली सुनवाई की तिथि, अर्थात् 26.12.2026 को क्यों प्रारंभ न की जाए।
4. सुनवाई की तिथि 26.02.2026 को नए सिरे से निर्धारित की जाए।
5. उपरोक्त आदेश पारित होने के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका को अप्रमाणित मानते हुए खारिज करने की प्रार्थना की है।
6. प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय सिंह सेंगर ने इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।
7. तदनुसार, रिट याचिका को अप्रमाणित मानते हुए खारिज किया जाता है।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को उसी कारण से नई याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

27 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"